आकार IAS

Shaping Your Dreams

सामान्य हिंदी एवं व्याकरण

मुख्य परीक्षा

प्रश्नपत्र-05

160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com www.aakarias.com
9713300123, 6262856797, 6262856798

प्रश्न पत्र –5

सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण

समय – 3 घंटे **कुल अंक – 200**

इस प्रश्न–पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषायी दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिन्दी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है।

सामान्यत: निम्नलिखित विषय–सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएँगे।

(क) **लघुत्तरीय प्रश्न** – निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ही पूछे जाएँगे। 03 x 25 = 75

(ख) **अलंकार** – शब्दालंकार : अनुप्रास, यमक, श्लेष 05 + 05 = 10
अर्थालंकार : उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा

(ग) **अनुवाद वाक्यों का** – हिन्दी से अँग्रेजी एवं अँग्रेजी से हिन्दी 20 + 15 = 35

(घ) (1) संधि एवं समास (2) विराम चिह्न 02 x 10 = 20

(ङ) **प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ** – प्रत्येक 2 अंक 02 x 10 = 20

1. प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी व अंग्रेजी)।
2. मुहावरे अथवा कहावतें
3. विलोम शब्द
4. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
5. तत्सम–तद्भव शब्द
6. पर्यायवाची शब्द
7. मानक शब्दावली

(च) **अपठित गद्यांश** = 20

(छ) **पल्लवन** – रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन। 10 x 01 = 10

(ज) **संक्षेपन** – गद्यांश का एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण। 10 x 01 = 10

विषय सूची (CONTENTS)

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	हिन्दी भाषा का अर्थ परिभाषा एवं विकास	1 – 14
02	वर्णमाला	15 – 22
03	उपसर्ग	23 – 27
04	प्रत्यय	28 – 32
05	अलंकार	33 – 40
06	अनुवाद	41 – 59
07	संधि	60 – 68
08	समास	69 – 79
09	विराम चिह्न	80 – 86
10	पारिभाषिक शब्दावली	87 – 113
11	मुहावरें एवं कहावतें	114 – 131
12	शब्द विचार	132 – 156
13	संज्ञा	157 – 164
14	सर्वनाम	165 – 168
15	विशेषण	169 – 171
16	क्रिया	172 – 175
17	अविकारी या अव्यय शब्द	176 – 179
18	शब्द समूह के लिए एक शब्द	180 – 188
19	अपठित गद्यांश व प्रश्नोत्तर	189 – 196
20	पल्लवन	197 – 208
21	संक्षेपण	209 – 219
22	वाक्य	220 – 224
23	काल	225 – 228
24	वाच्य	229 – 230
25	शब्द युग्म	231 – 252
26	आत्मकथा एवं रचनाकार	253 – 254
27	हिन्दी में सर्वप्रथम	255 – 257

160/4-A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
e-mail : aakarias2014@gmail.com ; **Website :** www.aakarias.com
CONTACT : 9713300123, 6262856797, 6262856798

हिन्दी भाषा का अर्थ परिभाषा एवं विकास

- ❐ भाषा, विशेषताएं एवं प्रकृति
- ❐ भाषा परिवार
- ❐ हिन्दी भाषा का नामकरण एवं उत्पत्ति एवं विकास क्रम
- ❐ राजभाषा
- ❐ हिन्दी की संवैधानिक स्थिति
- ❐ प्रमुख अधिनियम
- ❐ राष्ट्रभाषा एवं अन्य भाषाएं
- ❐ हिन्दी का विकास क्रम
- ❐ अपभ्रंश एवं उनके प्रकार
- ❐ बोली एवं उपभाषाएं
- ❐ लिपि
- ❐ विश्व हिन्दी सम्मेलन

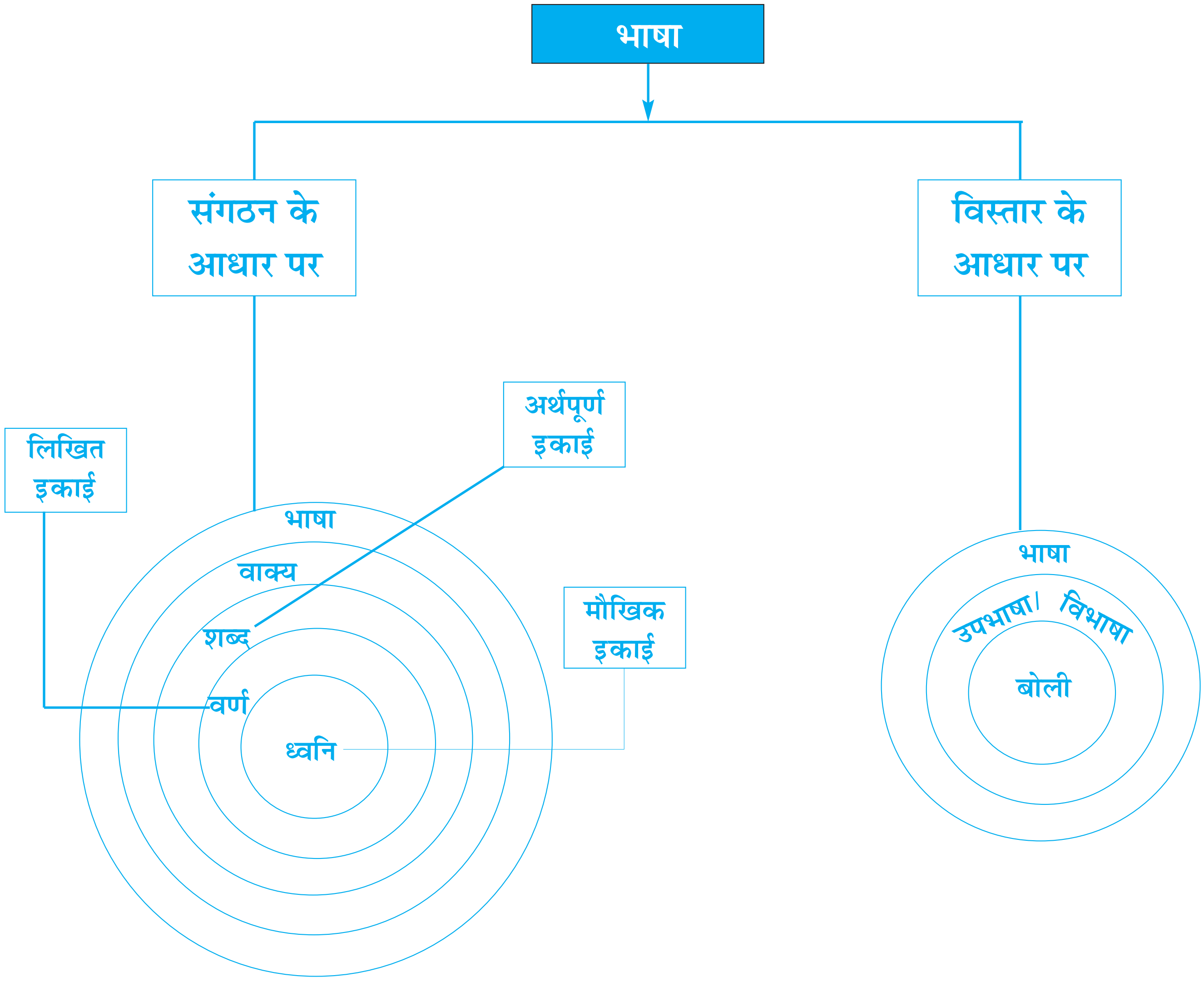

❐ भाषा

- ➢ भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष् धातु से हुई है, जिसका अर्थ है – बोलना या वाणी।
- ➢ रामचन्द्र वर्मा के अनुसार भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है, जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है।

- पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली-भांति प्रकट कर सकता है।
- डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
- डॉ. बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिह्नों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उसे सम्मिलित रूप से भाष कहते हैं।
- पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं।
- पाश्चात्य विद्वान वेन्द्रे के अनुसार भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।

❑ भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति

1) भाषा पैतृक सम्पत्ति नहीं, बल्कि अर्जित सम्पत्ति हैं।
2) भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है।
3) भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है।
4) भाषा परिवर्तनशील है।
5) भाषा प्रतीकात्मक होती है।
6) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।

❑ भाषा के रूप

विभिन्न विद्वानों के द्वारा भाषा के 3 रूप प्रचलित है, लेकिन मानक रूप से इसके 2 ही रूप हैं।

1) **मौखिक भाषा** - इसे भाषा का मूलरूप कहा जाता है। यह सबसे सरल रूप है।
2) **लिखित भाषा** - इसे भाषा का आध्यात्मिक रूप कहा जाता है।
3) **सांकेतिक भाषा** - यह भाषा का सबसे कठिन रूप है।

नोट - भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण - जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास।

❑ भाषा परिवार

विश्व में लगभग 3000 भाषाओं को 12 परिवारों में बांटा गया हैं, जिनमें से भारत में 3 परिवार प्रचलित है।

❖ भारोपीय परिवार

इस परिवार में भारत और यूरोप में प्रचलित सभी भाषाओं का समावेश है। इस भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, हिंन्दी, ग्रीक, रूसी, लेटिन , फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी आदि भाषाएं आती हैं। भारत में 73 प्रतिशत लोग बोलते हैं।

❖ द्रविड़ परिवार

इस परिवार में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं केरल की प्रमुख भाषाएं क्रमश: तमिल, तेलगु, कन्नड़ एवं मलयालम आती हैं। इसके अतिरिक्त कुई, तुर्ग, ब्राहुई आदि अन्य भाषाएं भी इसी परिवार में आती है। भारत में इसे लगभग 25 प्रतिशत लोग बोलते हैं।

❖ ऑस्ट्रिक परिवार

मुंडा और संथाली इस परिवार की प्रमुख भाषाएं है।

❐ हिन्दी भाषा का नामकरण एवं उत्पत्ति

हिन्दी भाषियों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बत यह रही है कि हिन्दी का नाम संस्कृत से न होकर फारसवासियों द्वारा दिया गया है, जो बहुत ही रोचकपूर्ण है।

फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू और सिंधु क्षेत्रवासियों को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी या हिन्दी कहते हैं। मूलत: फारसी भाषा में 'स' का उच्चारण 'ह ' होने के कारण हुआ है। इसलिए सिंधी को हिन्दी जैसा समझा गया है।

17वीं शताब्दी में मुस्लिम रचनाकारों ने हिंदवी और हिन्दी दोनों शब्दों का प्रयोग किया था जबकि इससे पूर्व 16वीं शताब्दी में जायसीजी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आधिपत्य के प्रारंभिक काल में हिंदवी और हिन्दी का हिन्दुस्तानी के रूप में नया नामकरण किया गया। परंतु भारतीय लोगों ने हिन्दी नाम को ही स्वीकार किया।

❐ हिन्दी का विकास क्रम

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है। जिसका विकास आर्यो की मूलभाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय आर्यभषा के विकास को प्राय: 3 चरणों में विभक्त किया जाता है-

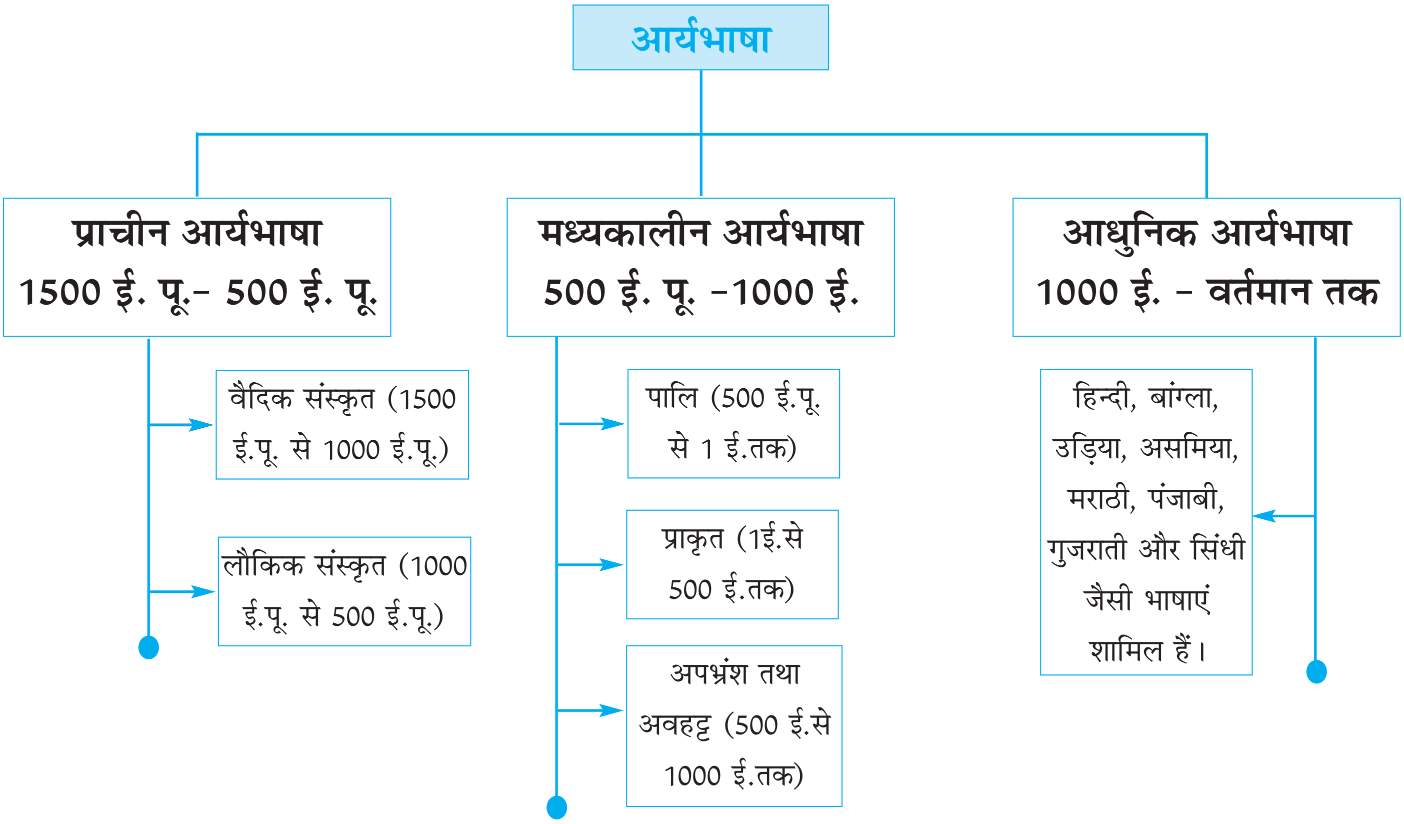

❐ राजभाषा

राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है - राज-काज की भाषा, अर्थात् - जिस देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं।

14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाया गया। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के **भाग-17** में 26 जनवरी 1950 को 14 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई।

1) असमिया	2) बांग्ला	3) गुजराती	4) हिन्दी	5) कन्नड़
6) कश्मीरी	7) मलयालम	8) मराठी	9) उड़िया	10) पंजाबी
11) संस्कृत	12) तमिल	13) तेलगु	14) उर्दू	

21 वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया।

71 वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया।

92 वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथली, संथाली को जोड़ा गया।

इस प्रकार वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 22 हो गई है।

❐ हिन्दी की संवैधानिक स्थिति

संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा की मान्यता 14 सितम्बर, 1949 को प्रदान की गई थी। 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग-17 (राजभाषा) में अनुच्छेद 343 से 351 तक तथा अनुच्छेद 120 व 210 में राजभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

- **अनुच्छेद 343** – संघ की राजभाषा

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।

नोट – इस प्रकार भारत की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि (Syllabic Script) है, जबकि अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि (Alphabetic Script) है।

- **अनुच्छेद 344** – राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर राजभाषा आयोग गठित करेगा। साथ ही राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देने के लिए संसद की राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा।

नोट – प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून, 1955 में बालगंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी।

- ➢ **अनुच्छेद 345** – किसी राज्य की राज भाषा प्रादेशिक, हिन्दी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी।
- ➢ **अनुच्छेद 346** – एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य एवं केंद्र और राज्य के मध्य पत्र व्यवहार की भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।
- ➢ **अनुच्छेद 347** – किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।
- ➢ **अनुच्छेद 348** – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
- ➢ **अनुच्छेद 349** – भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।
- ➢ **अनुच्छेद 350** – जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली भाषा ।
- ➢ **अनुच्छेद 350 क** – बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान।
- ➢ **अनुच्छेद 350 ख** – भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान।
- ➢ **अनुच्छेद 351** – केंद्र सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हिन्दी का प्रचार-प्रसार करेंगे।
- ➢ **अनुच्छेद 120** – संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- ➢ **अनुच्छेद 210** – राज्य विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

❒ हिन्दी भाषा से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन

❖ राजभाषा अधिनियम 1963

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजकीय प्रायोजन के लिए 15 वर्ष बाद यानि 1965 से हिन्दी का प्रयोग आरंभ होना था। वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न करके उस अवधि के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोग के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना। इस प्रकार 26 जून 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषीय नीति आरंभ हुई, जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रायोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती है।

❖ राजभाषा संशोधान अधिनियम 1967

इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है। एक संकल्प पारित करना होगा और इसके पश्चात संसद की हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा और ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी।

❖ राजभाषा नियम 1976

इसके अनुसार केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों को तीन वर्गों में विभाजित किया।

भाग ''क''– म.प्र., बिहार , उ.प्र., हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली।

भाग ''ख ''– महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब।

भाग ''ग ''– द्रविड़, भाषी राज्य, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य व जम्मू कश्मीर।

❖ राजभाषा अधिनियम 1976 में संशोधान 1987

इसके अंतर्गत ''क'' वर्ग क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को हिन्दी में ही पत्र भेजे जाएंगे यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रेषित किया जाएगा।

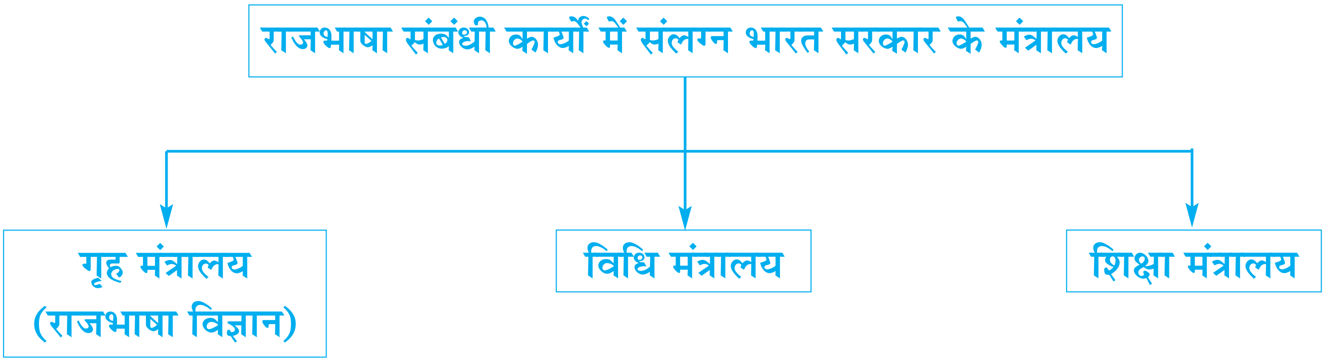

❒ राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है – समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात् – आमजन की भाषा (जनभाषा)।

दूसरे शब्दों में जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। व्यवहारिक बोलचाल में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं। राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना एवं राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना।

❖ राष्ट्रभाषा के गुण

1) राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।
2) इसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना होती है।
3) इसके शब्द भण्डार विस्तृत एवं समृद्ध होते हैं।
4) यह व्यापक क्षेत्र में प्रयोग होती है।
5) इसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध होता है।
6) यह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है।
7) यह राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है।

❒ संपर्क भाषा

जब दो भिन्न भाषाओं को जानने वाले लोग जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा का दर्जा अंग्रेजी को प्राप्त है।

❒ स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा

जब किसी रचना का अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में किया जाता है, तब जिस भाषा का अनुवाद किया गया है, उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया गया है, उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, जैसे - हिन्दी के किसी अवतरण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाए, तो हिन्दी स्रोत भाषा व अंग्रेजी लक्ष्य भाषा होगी।

उदाहरण - मैं गीत गाता हूं। : स्रोत भाषा

I Sing a Song : लक्ष्य भाषा

❒ अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों को विनिमय करने के लिए करने लगे, तो उस भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।

वर्तमान में अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।

❒ विदेशी भाषा

जिस भाषा का उपयोग वर्तमान में कूटनीति या पर्यटन में दिखाई दिया जाने लगा है, उसे विदेशी भाषा कहते हैं।

उदाहरण - फ्रेंच, रूसी, जर्मन, फारसी इत्यादि।

❒ मातृ भाषा

वह भाषा जो बच्चा अपनी मां से ग्रहण करता है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना एवं बौद्धिकता का विकास करना होता है।

❒ सांस्कृतिक भाषा

जिस देश की संस्कृति किसी एक भाषा में निहित होती है तो उसे उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहते हैं।

भारतीय परिवेश में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त है।

❒ मानक/परिनिष्ठित भाषा

वह भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है एवं जिसका प्रयोग साहित्य एवं प्रशासन में भी किया जाता है मानक भाषा कहलती है।

❑ हिन्दी का विकास क्रम

हिन्दी की आदि जननी संस्कृत है।

संस्कृत पालि, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अप्रभंश, अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिन्दी का रूप लेती है।

सामान्यत: हिन्दी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है।

संस्कृत > पालि > प्राकृत > अपभ्रंश > अवहट्ट > प्राचीन हिन्दी

❑ अपभ्रंश

प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है, अधिकतर भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश के 5 प्रकार बताए लेकिन डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं –

अपभ्रंश	आधुनिक भाषाएं
1) शौरसेनी	पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा, खड़ी बोली
2) पैशाची	लंहदा, पंजाबी
3) ब्राचड़	सिंधी
4) खस	मंडियाली, कुमायुँनी, गढ़वाली
5) मागधी	बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया
6) अर्द्धमागधी	पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी)
7) महाराष्ट्री	मराठी

महत्वपूर्ण तथ्य

- हिंदी भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
- गुजराती भाषा शौरसेनी से विकसित है।
- अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान ने अपने ग्रंथ 'संदेश रासक' में किया था।
- स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
- पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है।
- अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र है।

नोट – हिन्दी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश (पश्चिमी हिन्दी) से मानी जाती है।

❑ बोली

जो सीमित क्षेत्र या सीमित स्थान में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है। तथा जिसका कोई अपना मानक व्याकरण और मानक साहित्य ना हो एवं इसमें अपनेपन का बोध होता है उसे बोली कहते हैं।

मध्यप्रदेश में मुख्यत: मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी इत्यादि बोलियाँ बोली जाती है।

❑ भाषा और बोली में अंतर

1) भाषा का क्षेत्र विस्तृत या व्यापक होता है, जबकि बोली का सीमित।
2) भाषा समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, जबकि बोली आत्मीयता या अपनेपन का संकेत।
3) भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भ में, जबकि बोली का प्रयोग अनौपचारिक संदर्भ में होता है।
4) भाषा का शब्द भंडार विस्तृत, जबकि बोली का सीमित।
5) भाषा व्याकरण से संबंधित होती, जबकि बोली सामान्यत: व्याकरण से संबंधित नहीं होती।

❒ विभाषा

जब बोलियां सामाजिक, सांस्कृतिक व राज्य स्तर पर अपनेआप को उच्च कर लेती है, उसे विभाषा कहते हैं।

इसमें धीरे-धीरे साहित्य की भी रचना होने लगती है, जैसे – ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधि आदि।

बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकाश भाषा में होता है।

बोली < विभाषा < भाषा

नोट – हिन्दी की जनपदीय विभाषाओं के नाम ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी है।

❒ त्रिभाषा सूत्र

इसके अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिणी भारतीय भाषा तथा दक्षिण भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

❒ मानक/परिनिष्ठित भाषा

वह भाषा, जो व्याकरण से नियंत्रित होती है तथा जिसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है।

इसे मानक भाषा के नाम से भी जाना जाता है।

मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती है।

साथ ही जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है।

❒ उप-भाषा

एक से अधिक बोलियां मिलकर उप-भाषाओं का निर्माण करती है। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी की 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया है।

उपभाष	बोलियां	क्षेत्र
पश्चिमी हिन्दी	ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हरियाणवी (बांगरू), खड़ी बोली	हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश
पूर्वी हिन्दी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
बिहारी	मैथिली, मगधी, भोजपुरी	उत्तर प्रदेश, बिहार
राजस्थानी	मालवी, मेवाती, मारवाड़ी,जयपुरी	राजस्थान
पहाड़ी	कुमाउँनी, गढ़वाली, मंडियाली	उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

नोट – एक भाषा के अन्तर्गत कई उप-भाषाएं होती हैं तथा एक उप-भाषा के अन्तर्गत कई बोलियां होती है –

भाषा > उपभाषा > बोलियां

राहुल सांस्कृत्यायन और भोलाराम तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है।

❑ पश्चिमी हिन्दी

यह हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। जिसका क्षेत्र अंबाला से लेकर कानपुर तक तथा देहरादून से लेकर महाराष्ट्र के आरंभ तक विस्तृत है। इतना ही नहीं दक्षिण में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों में मुस्लिम समाज में भी पश्चिमी हिन्दी का ही एक रूप दक्खिनी हिन्दी प्रचलित है। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां जैसे ब्रजभाषा, खड़ीबोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्खिनी है।

1) **ब्रज भाषा** – इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। इसका क्षेत्र मथुरा, आगरा तथा उसके आसपास क्षेत्र तक फैला है। साहित्यिक दृष्टि से यह अत्यंत सम्पन्न बोली है। इसमें सूरदास और बिहारी जैसे प्रमुख रचनाकार है। इस बोली का ही आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है।

2) **कौरवी/ खड़ी बोली** – दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। इसका नाम खड़ी बोली कैसे पड़ा इस विषय पर भाषा वैज्ञानिकों में विवाद है। खड़ी का अर्थ सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी, कामता प्रसादगुरु ने कर्कश तथा कुछ अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने खरी या शुद्ध माना है।

3) **हरियाणवी** – का मूल संबंध हरियाणा राज्य से हैं। इसका एक और नाम बांगरु भी है जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया। करनाल के आसपास का क्षेत्र बांगर कहलाता है इसलिए इसे बांगरु कहा गया। इसका प्रमुख क्षेत्र करनाल, हिसार, पटियाला, दिल्ली तक विस्तृत है।

4) **बुंदेली बोली** – इसके अंतर्गत टीकमगढ़, ग्वालियर, बालाघाट, झांसी, आगरा तथा नागपुर जैसे जिले सम्मिलित है। भूभाग के विस्तार की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिन्दी की सर्वाधिक व्यापक बोली है।

5) **कन्नौजी बोली** – हालांकि कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रज भाषा का रूप मानते हैं किंतु जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे एक अलग बोली माना। यह कन्नौज प्रदेश की भाषा है जो प्राय: इटावा, कानपुर, शांहजहांपुरा और पीलीभीत जिलों में प्रचलित है।

6) **दक्खिनी बोली** – इसका विस्तार हैदराबाद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में है। यह धीरे-धीरे उर्दूपन की ओर जा रही है।

❑ पूर्वी हिन्दी

पूर्वी हिन्दी का क्षेत्र पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। इस क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कानपुर से, मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं।

1) **अवधी बोली** – यह अवध की बोली है, जिसका नाम अयोध्या के औध से अवध पड़ा। इसका क्षेत्र लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर तथा रायबरेली तक हैं। भक्तिकाव्य की दो प्रमुख धाराएं सूफी काव्य धारा एवं राम भक्ति काव्य धारा इसी बोली में रचित है। तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों का संबंध इसी बोली से रहा है।

2) **बघेली बोली** – बघेलखण्ड में बोली जाने वाली भाषा जिसका प्रमुख केंद्र रीवा है तथा इसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट आदि जिलो में बोली जाती है।

3) **छत्तीसगढ़ी बोली** – वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की बोली है। जिसे इतिहास में दक्षिण कौशल भी कहा गया। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ तथा राजनंदगांव आदि जिले आते हैं।

❑ राजस्थानी हिन्दी

यह संपूर्ण राजस्थान तथा मालवा जनपद के साथ-साथ सिंध के कुछ क्षेत्रों तक इसका विस्तार हैं। इसके अंतर्गत मालवी, मारवाड़ी, मेवाती तथा जयपुरी बोलियां आती है।

1) **मालवी बोली** – यह मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है- शब्द के आदि अक्षर में स्वर या दीर्घीकरण जैसे- लकड़ी- लाकड़ी, कपड़ा-कापड़ा।

2) **मारवाड़ी बोली** – राजस्थान एवं भारत के अधिकांश शहरों में मारवाड़ के लोग बसे हुए हैं। इसका कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है। इसमें 'न' के स्थान पर 'ण' तथा ओकरांत का प्रयोग जैसे आतो, देखो, चलणो इसकी विशेष प्रवृत्तियां मानी जाती है।

3) **मेवाती बोली** – मेवाती मेव जाति के निवास स्थान क्षेत्र की बोली है। अलवर और भरतपुर के साथ-साथ हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में भी बोली जाती है।

4) **जयपुरी बोली** – यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। इस बोली में सामान्यत: 'ह' ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे- शहर-सैर।

❐ बिहारी हिन्दी

बिहारी हिन्दी बिहार तथा झारखंड के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली बोलियों के उपवर्ग का नाम है। इसमें मुख्यत: भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती है।

1) **भोजपुरी** – बिहारी हिन्दी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। इसके क्षेत्र में छपरा, चंपारण तथा रांची के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, जैसे-गोरखपुर, बनारस, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर आदि शामिल हैं। लोक-प्रचलन की दृष्टि से यह हिन्दी की सबेस अधिक प्रचलित बोली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह बोली अत्याधिक प्रचलन में हैं।

2) **मगही** – मगही बिहारी हिन्दी उपवर्ग की दूसरी बोली है जो पटना, गया, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अपनी प्रवृत्तियों में यह भोजपुरी से काफी समानता रखती है।

3) **मैथिली** – बिहारी उपवर्ग की तीसरी बोली मैथिली है। इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सहरसा आदि तक फैला हुआ है। साहित्यिक दृष्टि से यह बिहारी हिन्दी की सर्वाधिक संपन्न बोली है। साहित्य अकादमी ने इसे लंबे समय से स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की हुई थी। अब इसे संसदीय प्रस्ताव द्वारा संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

❐ पहाड़ी हिन्दी

पहाड़ी हिन्दी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों-मुख्यत: कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाने वाली बोली है। इस उपभाषा के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं- कुमाउंनी तथा गढ़वाली। पहाड़ी हिन्दी पर आर्य भाषा संस्कृत की परंपरा के साथ-साथ तिब्बती, चीनी तथा खस जाति की अनार्य भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। विकास की प्रक्रिया में इन पर आर्य भाषा की विकसित अवस्थाओं जैसे ब्रजभाषा का प्रभाव बढ़ता गया है और अनार्य तत्व क्षीण होते गए। पहाड़ी हिन्दी की कोई विशेष साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है।

1) **कुमाउंनी** – कुमाउंनी का क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के आस-पास तक फैला हुआ है। इस पर राजस्थानी बोलियों का काफी प्रभाव पड़ा है।

2) **गढ़वाली** – गढ़वाली टिहरी, चामोली तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इस बोली पर पंजाबी और राजस्थानी का काफी प्रभाव दिखाई देता है। स्वरों के अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है, जैसे-छायां, दैंत, पैंसा आदि।

❑ लिपि

लिपि	भाषा
देवनागरी	हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, अपभ्रंश, राजस्थानी आदि
रोमन	अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि
गुरूमुखी	पंजाबी।
फारसी	उर्दू, अरबी, फारसी

- मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिह्नों को लिपि कहते हैं, अर्थात् – भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिह्नों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं।
- हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है।
- देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है।
- भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है।
- डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिन्दी की देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया था।
- देवनागरी व रोमन लिपि बाए से दायें लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दायें से बायें लिखी जाती है।
- चीनी व जापानी लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है।

❖ देवनागरी लिपि

- देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दांए लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे 'शिरोरेखा' कहते हैं।
- संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली इत्यादि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती है।
- देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक हैं। यह दक्षिण एशिया की लगभग 175 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है।
- भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती-जुलती है। जैसे- बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि।
- एकमत के अनुसार देवनगर (काशी) में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा।
- सातवीं शताब्दी तक देवनागरी का नियमित रूप से उपयोग होना आरंभ हो गया था और लगभग 1000 ईसवी तक इसका पूर्ण विकास हो गया था।
- डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट (700-800 ई.) के शिलालेख में मिलता है।
- 758 ई. का राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का शामगढ़ ताम्रपट मिलता है जिस पर देवनागरी अंकित है।
- 11 शताब्दी के चोल राजा राजेंद्र के सिक्के पर भी देवनागरी लिपि अंकित थी।
- कनिंघम की पुस्तक में प्राचीन मुसलमानों सिक्के के रूप में महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्क का वर्णन है जिस पर देवनागरी लिपि में संस्कृत अंकित है।
- इल्तुतमिश, फिरोजशाह, रजिया आदि मुस्लिम शासकों ने अपने सिक्कों पर देवनागरी अक्षर अंकित किए। जबकि अकबर के सिक्कों पर देवनागरी में राम-सिया का नाम अंकित है।